

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 18/21 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2021/65

अनवान्

1. श्री मांगीलाल पिता गोविन्दा बलाई निवासी धोलीमगरी तह. मावली।
2. श्रीमती नानीबाई पुत्री गोविन्दा पत्नी भंवरलाल बलाई निवासी धोलीमगरी हाल रख्यावल तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**—: : निर्णय : :—****दिनांक :- 29.08.2022**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि हम प्रार्थीगण के पिता श्री गोविन्दा पिता माना जी जाति बलाई निवासी धोलीमगरी तह. मावली जिला उदयपुर (राज.) को आवंटन सलाहकार कमेटी वल्लभनगर ने दिनांक 16.10.1977 को मौजा धोलीमगरी तह. मावली जिला उदयपुर (राज.) की आराजी नम्बर 696 रकबा 30 बीघा में से 5 बीघा भूमि आवंटन किये जाने की स्वीकृति दी एवं पटवारी, पटवार हल्का को मौके पर आवंटी को कब्जा सुपुर्द करने तथा पुनः कागजात दिनांक 31.10.1977 को पेश करने का आदेश उप जिलाधीश वल्लभनगर द्वारा दिया गया। इस आदेश की पालना में पटवारी हल्का ने 5 बीघा भूमि आवंटी को रेकर्ड में इन्द्राज करके एवं आवंटी को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर कागजात प्रस्तुत किये तत्पश्चात् उप जिलाधीश वल्लभनगर द्वारा उक्त भूमि को आवंटी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में गैरखातेदारी के नाम पर दर्ज करने एवं पट्टा फीस 5/- पांच रूपये एवं लगान 3/- तीन रूपये कुल 8/- आठ रूपये आवंटी से वसुल करने का आदेश दिया। इस पर उप जिलाधीश वल्लभनगर ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर यह लिखा की आवंटी को कब्जा दे दिया गया है एवं डिमाण्ड कायम हो चुकी है



इसलिए अब पत्रावली में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

2. यह कि दिनांक 31.10.1977 को ही कार्यालय सब डिविजनल ऑफिसर वल्लभनगर का यह आदेश जारी किया गया कि भूमि आवंटन परामर्शदात्री कमेटी दिनांक 16.10.1977 अनुसार मौजा धोलीमगरी तह. मावली में स्थित बिलानाम खसरा नम्बर 696 रकबा 5 बीघा लगानी 3 रूपया हम प्रार्थीगण के पिता श्री गोविन्दा पिता माना बलाई निवासी धोलीमगरी को आवंटन कर भू-अभिलेख में गैरखातेदारी हक से दर्ज करने एवं लगान सम्वत् 2030 से 3 रूपया व पट्टा फीस 5 रूपया कुल 8 रूपये वसूल करने की स्वीकृति दी गई। इस आदेश की प्रतिलिपि तहसीलदार मावली पटवार हल्का मांगथला को प्रेषित कर आदेश की पालना 2 सप्ताह में करने के लिए निर्देशित किया गया एवं उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार मावली, पटवार हल्का मांगथला ने जरिये इ.न.46 आराजी नम्बर 696 रकबा 30 बीघा में से 5 बीघा भूमि आवंटनी गोविन्दा पिता माना बलाई के नाम पर गैरखातेदारी हक से दर्ज कर दी।
3. यह कि इस तरह आराजी नम्बर 696 रकबा 5 बीघा भूमि पर आवंटनी गोविन्दा पिता माना बलाई निवासी धोलीमगरी का कब्जा सन् 1977 के पहले से ही चला आ रहा था तथा गोविन्दा की मृत्यु होने के बाद उक्त आराजी पर हम प्रार्थीगण का कब्जा निर्बाध रूप से हर आम व खास की जानकारी में शांति पूर्वक लम्बे समय से चला आ रहा है एवं हम प्रार्थीगण के पिता एवं हम प्रार्थीगण ने इस जमीन पर काफी लागत लगाकर और हम परिवार वालों ने मेहनत कर आवादान कर योग्य बनाई और वर्तमान में इस आराजीयात पर हमारा ही कब्जा चला आ रहा है।
4. यह कि हम प्रार्थीगण जाति से बलाई है यानि अनुसूचित जाति के सदस्य है चूंकि हम प्रार्थीगण के पिता भूमिहीन काश्तकार थे एवं उसी आधार पर सन् 1977 में जबकि रेवेन्यु रेकॉर्ड में जमीन बिलानाम दर्ज थी एवं आवंटन कमेटी ने उसी रेकॉर्ड को मदेनजर रखते हुए हम प्रार्थीगण के पिता को भूमि ऐलोट करके मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया और तब से हम प्रार्थीगण के पिता एवं उनकी मृत्यु के बाद हम प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। कानून के अनुसार 10 वर्ष बाद गैर खातेदारी से काश्तकार स्वतः ही खातेदार बन जाता है इस कारण हम प्रार्थीगण उक्त आराजी नम्बर 696 रकबा 5 बीघा के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं।
5. यह कि हम प्रार्थीगण को उक्त आराजी को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिये कर्ज लेना था जिस पर दिनांक 12.10.2020 को जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 तक की नकल प्राप्त की तो उससे मालुम हुआ कि आराजी नम्बर 696 रकबा 30 बीघा जमीन को

चारागाह में दर्ज कर दी है तथा उसमें से आराजी नम्बर 696/1 रकबा 3 बीघा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोलीमगरी खेल मैदान एवं शेष आराजी नम्बर 696 मीन रकबा 27 बीघा किस्म चारागाह दर्ज करने की स्वीकृति हुई एवं शुद्धि पत्र से 696/1 के बजाय 1852/696 अंकन करने की स्वीकृति हुई।

6. यह कि जिस समय हम प्रार्थीगण के पिता गोविन्दा जी को जमीन आवंटन हुई उस समय आराजी नम्बर 696 रकबा 30 बीघा बिलानाम गैरकाबिल काश्त दर्ज थी उस समय के रेकार्ड में कहीं भी चारागाह दर्ज नहीं थी और इसलिए उस रेकार्ड को मद्देनजर रखते हुए आवंटन कमेटी ने 5 बीघा जमीन हम प्रार्थीगण के पिता को ऐलोट की तथा पटवारी हल्का ने भी उस आदेश की पालना में मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया तथा तत्कालीन तहसीलदार मावली ने भी जरिये इ.न. 49 से उक्त जमीन को हम प्रार्थीगण के पिता गोविन्दा जी के नाम पर दर्ज कर दी।
7. यह कि वर्तमान में जब हम प्रार्थीगण ने रेकार्ड देखा तो यह मालुम आया कि इस जमीन को ऐलोट के पहले ही चारागाह कर दी गई थी लेकिन जमीन ऐलोट करते समय रेकार्ड में चारागाह दर्ज नहीं हुई एवं बिलानाम काबिल काश्त ही दर्ज थी एवं उसी वजह से जमीन ऐलोट की गई।
8. यह कि बाद में हम प्रार्थीगण के पिता एवं हम प्रार्थीगण को सूचना दिये बिना ही उस पुरी आराजी नम्बर 696 रकबा 30 बीघा को उस पुराने आदेश को देखते हुए चारागाह में दर्ज कर दी। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि आप किसी भी पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसके विपरित आदेश नहीं दे सकते हैं अगर ऐसा कोई आदेश दिया जाता है तो ऐसा आदेश वोइड की तारीफ में आता है इसलिए उक्त आदेश हमारे मुकाबले बेअसर व प्रभावहीन है एवं उसकी कानूनन कोई वेल्यु नहीं हैं।
9. यह कि हम प्रार्थीगण अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य होकर गरीब एवं भूमिहिन काश्तकार हैं। सारा रेकार्ड रेवेन्यु ऑथिरिटी के पास रहता है अगर ऐलोटमेन्ट के समय यह जमीन चारागाह होती तो यह जमीन हम प्रार्थीगण के पिता को ऐलोट नहीं होती तथा कोई अन्य जमीन जो बिलानाम होती वह ऐलोट हो जाती। इस तरह अब उस जमीन को चारागाह बताकर बिना हम प्रार्थीगण को सूचना दिये हमारे ऐलोट सुदा जमीन को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोलीमगरी के नाम पर एवं शेष जमीन को चारागाह करना गलत है। हम प्रार्थीगण उसे निरस्त कराने के अधिकारी हैं।
10. यह कि प्रार्थना पत्र की उपरोक्त कलमों में हम प्रार्थीगण ने जो उल्लेख किया है उसमें हम प्रार्थीगण की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है एवं न ही हमने कोई तथ्य छिपाया है। अगर कोई गलती हुई है तो वह गलती रेवेन्यु ऐजेन्सी की है। कानून का

सर्वमान्य सिद्धान्त तो यह है कि दण्ड उस व्यक्ति को दिया जाए जिसने गलती की हो, निरअपराधी को नहीं, लेकिन वर्तमान मामले में जिन रेवेन्यु ऐजेन्सी के कर्मचारियों ने गलती की है उनको दण्ड तो नहीं मिला बल्कि उनका प्रमोशन हो गया होगा और उल्टा हम प्रार्थीगण जो गरीब काश्तकार है तथा हमारी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है उनको दण्ड दिया जाकर 1977 में ऐलोट हुई जमीन चारागाह कर देना एवं स्कूल के नाम पर कर देना यह कृत्य किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। किसी गरीब को रोजी रोटी देकर करीब 40 वर्ष बाद बिना उसकी गलती के उसकी राजी रोटी छिनना न्याय की दृष्टि से एवं लोक कल्याणकारी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है।

11. यह कि हम प्रार्थीगण आराजी नम्बर 696 मी. रकबा 27 बीघा जो वर्तमान में हमें बिना सूचना दिये चारागाह में दर्ज कर हमारे नाम हटा दिये है इसलिए हम प्रार्थीगण आराजी नम्बर 696 मीन में से 5 बीघा अर्थात् 0.8095 हेक्टेयर जमीन हम प्रार्थीगण के खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी हैं।
12. यह कि हम प्रार्थीगण को नियमानुसार सन् 1977 में रेवेन्यु रेकॉर्ड देखकर रेवेन्यु ऐजेन्सी ने कब्जा सुपुर्द किया है इसलिए हमारा प्राइमफैसी केस है तथा सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष में हैं एवं अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में है इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी हो गये हैं।
13. यह कि प्रार्थना पत्र विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध भी है इसलिये सरकार के विरुद्ध होने से उनको दफा 80 जा.दी. का नोटिस दिया गया उस नोटिस में भी उन्होंने यह तो माना कि जमीन प्रार्थीगण को 1977 को ऐलोट अवश्य हुई है लेकिन नोटिस की बाकी कलमों का कोई जवाब नहीं देकर टालम-टोली की हैं।
14. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 12-10-2020 को नकल लेने से एवं नोटिस दिनांक 17-11-2020 को देने से एवं जमीन हमारे नाम पर नहीं करने से उत्पन्न हुआ एवं निरन्तर जारी है।
15. यह कि विकल्प में यह भी निवेदन है कि किन्ही कारणों से 696 मी. में से हम प्रार्थीगण को 5 बीघा जमीन नहीं दी जा सके तो उक्त 5 बीघा जमीन किसी अन्य बिलानाम जमीन में से दिलाई जाकर वह 5 बीघा अर्थात् 0.8095 हेक्टेयर जमीन हम प्रार्थीगण के नाम पर रेवेन्यु रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज करावें।
16. अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि आराजी नम्बर 696 मी. रकबा 5 बीघा अर्थात् 0.8095 हेक्टेयर भूमि से हमारा कब्जा नहीं हटाया जावे व किसी अन्य को ऐलोट नहीं करे।

17. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1, 2 की ओर से राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए प्रकरण को खारिज किया जाने का निवेदन किया।
18. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता राजपेरोकार द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।
19. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:—
1. प्रथम दृष्टया मामला— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर किस्म चारागाह अंकित हैं। भूमि बिलानाम होकर चारागाह होने से प्रार्थीगण का कोई टाईटल नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।
 2. सुविधा का संतुलन — चूंकि वाद वर्णित भूमि का प्रार्थीगण खातेदार नहीं हैं। भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर चारागाह होने से सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध साबित हुआ है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।
 3. अपूरणीय क्षति— प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किये जाने से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।
20. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर किस्म चारागाह अंकित हैं। चारागाह भूमि प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं होने से प्रार्थीगण का कोई टाईटल नहीं बनता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली